दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 31 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 301

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना संक्रमण से रेलवे के कुल 2952 कर्मचारियों की हुई मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेल मंत्रालय ने आज बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण अब तक रेलवे के 2952 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है जबकि मृतकों में से 98 ने कोरोना टीका की खुराक ली थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरटीपीसीआर जांच के बाद 1,57,496 मामलों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुयी। उनमे से 2952 कर्मचारियों की कोविड-19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 2952 मृतक रेलवे कर्मचारियों में से 98 ने कोरोना टीका की खुराक ली थी। वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल अपने कर्मचारियों के प्रति संजीदा दृष्टिकोण है। कोविड बीमारी के कारण मृत्यु के कुल 2952 मामलों में से 2857 मामलों में रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा 1931 मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

झारखंड में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली (आरएनएस)। झारखंड के धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। बेंच ने कहा कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाल ही में अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में डीजीपी ने कहा,जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अगर जांच सही नहीं हुई तो केस सीबीआई के पास ट्रांसफर किया जाएगा।

डाक विभाग ने राखी मेल पोस्ट करने के लिए की विशेष व्यवस्था

नई दिल्ली। इस वर्ष राखी का त्यौहार 22.08.2021 को है। डाक विभाग ने डाक द्वारा राखी भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डाक विभाग के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली सर्किल के कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा कि अन्य राज्यों के लिए 16 अगस्त 2021 तक एवं दिल्ली के भीतर 17 अगस्त तक 2021 तक डाक द्वारा रखी भेजे जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवधि के दौरान दिल्ली के 34 महत्वपूर्ण डाकघरों तथा दो आरएमएस कार्यालयों अर्थात् दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में विशेष पोस्टिंग काउंटर स्थापित किये जा रहे हैं। अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए ग्राहकों को समय पर डाक से राखी भेजने का सुझाव दिया गया है।

24 घंटों में 44,230 नए मामले, 555 मरीजों की मौत

» कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी शुरू

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार-चढ़ाव के बीच पिछले तीन दिन से लगामार बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि संक्रमण से मरने वालों के आंकडों में इस दौरान कमी दर्ज की गई है। वहीं 555 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं देश में अभी तक कुल 3,07,43,972 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ो के मुताबिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार तीसरे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44,230 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,72,344 हो गई। वहीं इस दौरान 555 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,23,217 हो गई। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है। देश में अभी 4,05,155 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.28 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,315 बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 42, 360 लोग स्वस्थ्य हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.38 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 555 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 190 और केरल के 128 लोग थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक कुल 4,23,217 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,32,335 लोग, कर्नाटक के 36,491 लोग, तमिलनाडु के 34,023 लोग, दिल्ली के 25,049 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,755 लोग, पश्चिम बंगाल के 18,123 लोग और पंजाब के 16,290 लोग थे।

संक्रमण दर 2.44 प्रतिशत हुई- आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 46,46,50,723 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 18,16,277 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई। देश में अब तक 44,60,33754 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर 2.44 प्रतिशत है। वहीं, नमूनों के संक्रमित आने की साप्ताहिक दर 2.43 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 3,07,43,972 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है।

ऐसे बढ़े कोरोना मरीज- देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में जिन 555 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 190 और केरल के 128 लोग थे। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 42,

सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, कुल 99.37 फीसदी विद्यार्थी हुए पास

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 99.37 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। करीब 14 लाख विद्यार्थियों की किस्मत दांव पर थी। लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 99.67 जबकि लड़कों का 99.13 फीसदी रहा। यानी लड़कियों का पास प्रतिशत 0.54 बेहतर रहा। सीबीएसई 12वीं में इस वर्ष 14.5 लाख छात्र पंजीकृत थे। इस वर्ष देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी भयावह लहर के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। परिणाम बोर्ड की वैकल्पिक आकलन नीति के आधार पर जारी किए गए हैं।

फिलीपींस ने भारत सहित 9 अन्य देशों में यात्रा प्रतिबंध बढ़ाया

मनीला। फिलीपींस ने अत्यधिक संक्रामक कोविड डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत और 9 अन्य देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए चल रहे यात्रा प्रतिबंध को 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। रोक ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने फिलीपींस में कोविड वेरिएंट के आगे प्रसार और सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध विस्तार को मंजूरी दी।

भारत के अलावा, 9 अन्य देश मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

हालांकि, फिलीपींस अपने प्रत्यावर्तन कार्यक्रम के तहत विदेशी फिलिपिनो श्रमिकों की वापसी की अनुमति देता है, लेकिन आगमन पर उन्हें 14 दिनों के लिए अलग कर दिया जाएगा। फिलीपींस में बहुत ज्यादा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट फैल गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उन्होंने 97 नए डेल्टा वेरिएंट मामलों का पता लगाया है। नए मामलों ने समग्र डेल्टा वेरिएंट को 216 तक पहुंचा दिया। डेल्टा से कम से कम आठ मरीजों की मौत हो गई है। फिलीपींस ने 27,577 मौतों के साथ कुल 1,572,287 कोविड मामलों की पुष्टि की है।

एक घंटे में 3 जगहों पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग के बाद लौटा वापस

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में बीती देर रात भी जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में तीन अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन रात करीब 8.30 से 9.30 के बीच बारी-ब्राह्मण, चिलाद्या और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। इनमें से दो ड्रोन आर्मी कैंप और आईटीबीपी कैंप के पास देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय में देखे गए हैं जब करीब एक हफ्ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमावर्ती कनचक इलाके में पांच किलोग्राम आईईडी सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था।

अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चिलाद्या में कुछ गोलियां चलायीं। अधिकारियों ने कहा कि अन्य दो ड्रोन बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए। पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो गई है और इस संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

5 अगस्त और 15 अगस्त के मद्देनजर ड्रोन आतंक का खतरा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार इससे जुड़ी साजिशे रची जा रही हैं। पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और दहशगर्द मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के नये हथियार ड्रोन को धार देने में जुटे हैं। 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में ड्रोन से हमले की फिराक में हैं।

दरअसल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के दो साल पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त को भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। वहीं 15 अगस्त पर आतंकी और ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षाबलों को 'सॉफ्ट किल' और 'हार्ड किल' की ट्रेनिंग दी गई है।

तत्कालीन सीजेआई की नियुक्ति के खिलाफ 2017 में जनहित याचिका दायर करना पड़ा महंगा

» सुप्रीम कोर्ट ने दिया याचिकाकर्ता से 5 लाख रुपये की वसूली का आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए स्वामी ओम (अब मृतक) और मुकेश जैन ने 2017 में एक याचिका दायर की थी। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी जैन की भूमि से जुर्माने की रकम की वसूली कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रकम की वसूली तक उन्हें शीर्ष अदालत में कोई जनहित याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने जैन की ओर से लगाई गई याचिका दायर करने के लिए जुर्माने को कम करने के आवेदन पर भी गौर किया। वह अभी एक दूसरे केस के सिलसिले में ओडिशा के बालासोर जेल में है। शीर्ष अदालत ने जुर्माने की राशि में कमी के उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 2017 में जैन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन पिछले साल इसे घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि वह मामले को स्थगित नहीं रख सकती और अधिकारियों को जुर्माना वसूल करने का निर्देश दिया जा सकता है।

वकील की दलील, जैन के पास नहीं है कोई जमीन- जैन की ओर से पेश उनके अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि उनके पास कोई जमीन नहीं है और दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए। जैन को एक मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन ओडिशा में दो अन्य मामले लंबित हैं। अधिवक्ता ने कहा कि राज्य में पुरी रथ यात्रा से संबंधित पिछले साल प्रसारित एक कथित व्हाट्सएप संदेश के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ तीन और मामले दर्ज किए गए थे। केंद्र की ओर से पेश होने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि लागत में और कमी के लिए जैन के आवेदन को खारिज कर दिया गया है और अधिकारियों को जैन की संपत्तियों को कुर्क करने और कानून के अनुसार रकम वसूलने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को कहा था कि वह उनकी किसी जनहित याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं करेगी जब तक कि अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने को जमा नहीं करा देते। अदालत को पहले बताया गया था कि उनमें से एक स्वामी ओम की पिछले साल कोरोना के कारण मौत हो गई थी, जबकि मुकेश जैन पिछले एक साल से बालासोर जेल में हैं।

अफगानिस्तान में बाढ़ से 40 लोगों की मौत

काबुल। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत के एक गांव में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हो गए। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने कामदेश जिले के मिरदेश गांव को अपनी चपेट में ले लिया। शुरूआती जानकारी से पता चला है कि स्थानीय ग्रामीणों को 40 शव मिले हैं, जबकि कई अभी भी लापता हैं।

उन्होंने कहा कि गांव के लगभग सभी घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पानी ने मवेशियों को भी बहा दिया, कृषि भूमि को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की सीमा से लगे कामदेश में एक सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे बंद कर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री के कार्यालय ने कहा कि इलाके में तलाशी और बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका क्योंकि यह जिला तालिबान के नियंत्रण में है। इस बीच, नूरिस्तान के गवर्नर हाफिज अब्दुल कय्यूम ने बताया कि जैसे ही तालिबान प्रांतीय अधिकारियों को क्षेत्र में पहुंचने की अनुमति देगा, बचाव दल भेज दिए जाएंगे और प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता भेजी जाएगी।

सुको ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ अमेजन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के लिए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एफआरएल और अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम ने मामले में अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई ने कहा कि वह इस मामले में दलीलें बंद कर रहे हैं और फैसला सुरक्षित रखा जा रहा है। पीठ ने कहा, अब हम मामला (सुनवाई) बंद करते हैं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है। इस सौदे को लेकर अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी तथा एफआरएल कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं।

अमेजन ने न्यायालय में कहा है कि सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ (ईए) का एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला वैध है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए।

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एफआरएल और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने अमेजन की पैरवी करते हुए अपनी-अपनी दलीलें दीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत बाद में इस पर अपना फैसला सुनाएगी।

दरअसल, अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने रिलायंस-एफआरएल सौदे को हरी झंडी दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 2879 याचिकाएं लंबित : सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर इस वर्ष 23 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कुल 3036 जनहित याचिकाए दायर की गयी और इसी अवधि के दौरान इससे संबंधित लंबित मामलों की संख्या 2879 है।

रिजिजू ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 1176 मामले उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर 1319 हो गई। इस साल 23 जुलाई तक कुल 541 ऐसे मामले दायर किए गए हैं। विगत दो वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लंबित याचिकाओं के बार में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 23 जुलाई तक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित लंबित मामलों की कुल संख्या 2879 है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित दायर मामलों के मामले में उड़िसा सबसे आगे है जहां 2019 से लेकर अब तक कुल 1552 याचिकाए दायर की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नंबर आता है जहां इसी अवधि में अभी तक कुल 1487 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय तीसरे स्थान पर है। यहां अब तक 1479 याचिकाएं दायर की गई हैं।

रिजिजू के मुताबिक कलकत्ता उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 204 याचिकाएं, छत्तीसगढ़ में छह, गुवाहाटी में 165, गुजरात में 77, आंध्र प्रदेश में 646, झारखंड में 71, मद्रास उच्च न्यायालय में 12, मणिपुर में 141, मेघालय में 13, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 587, राजस्थान उच्च न्यायालय में 631, त्रिपुरा में 44 तेलंगाना में 30 और उत्तराखंड में 555 याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार बंबई, इलाहाबाद, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर सहित कुछ उच्च न्यायालयों ने बताया है कि ऐसी जनहित याचिकाओं के बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं रखी जाती। वर्ष 2019 से लेकर अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित जनहित याचिकाओं के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने बताया कि ऐसे सर्वाधिक मामले उड़ीसा उच्च न्यायालय में हैं। यहां लंबित जन हित मामलों की संख्या 7802 है। मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिकाओं की कुल संख्या 5698 है जबकि राजस्थान में ऐसे मामलों की संख्या 2750 है।